

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर (दूरभाष-0141-2705638)

क्रमांक: F.(30)NNM/ICDS/ ILA /2018/ **188 394-426**

जयपुर, दिनांक
24-10-18

उप-निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:- पोषण अभियान अन्तर्गत आयोजित किये जा रहे ILA प्रशिक्षण एवं सामुदायिक कार्यक्रमों (CBE) की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पोषण अभियान अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर चरणबद्ध रूप से आयोजित किये जाने वाले ILA प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षार्थियों की मॉड्यूलवार संख्या तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रोटेशनल आधार पर प्रतिमाह आयोजित किये जाने वाले सामुदायिक कार्यक्रमों एवं उनमें लाभान्वितों की संख्या की सूचना अभी तक अप्राप्त है जिसके कारण इन कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार प्रेषित नहीं की जा सकी है। अतः सभी उप-निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले की इकजाई सूचना संलग्न प्रपत्र में भरकर **दिनांक 29.10.2018 तक सांय 5:00 बजे तक** nnmrajasthan@gmail पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि भारत सरकार को सूचना भिजवाई जा सके।

(अ) ILA प्रशिक्षण की सूचना (जिलेवार सूचना)

मॉड्यूल संख्या	BRG				सैक्टर ट्रेनिंग			
	प्रशिक्षण की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	प्रशिक्षण दिनांक	BRG प्रशिक्षण हेतु कुल लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध प्रशिक्षितों की कुल संख्या	प्रशिक्षण की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	प्रशिक्षण दिनांक	प्रशिक्षित की जाने वाली कुल कार्यकर्ताओं की संख्या	लक्ष्य के विरुद्ध प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कुल संख्या
मॉड्यूल 1								
मॉड्यूल 2								
मॉड्यूल 3								

(ब) सामुदायिक कार्यक्रमों की सूचना (जिलेवार सूचना)

सामुदायिक कार्यक्रम	गोदमराई		अन्नप्राशन		सुपोषण दिवस		जन-स्वस्थ्य संदेश दिवस	
	केन्द्रों की संख्या जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किये जा सके	कार्यक्रमों में लाभान्वितों की संख्या	केन्द्रों की संख्या जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किये जा सके	कार्यक्रमों में लाभान्वितों की संख्या	केन्द्रों की संख्या जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किये जा सके	कार्यक्रमों में लाभान्वितों की संख्या	केन्द्रों की संख्या जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किये जा सके	कार्यक्रमों में लाभान्वितों की संख्या
अप्रैल								
मई								
जून								
जुलाई								
अगस्त								
सितम्बर								

ऐसी परियोजनाएँ या सैक्टर्स, जहाँ पर प्रशिक्षण अथवा सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये हैं, के नाम अलग से लिखकर सूचित करें तथा प्रशिक्षण अथवा सामुदायिक कार्यक्रम हो जाने के उपरान्त अद्यतन सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

साथ ही ILA प्रशिक्षण एवं सामुदायिक कार्यक्रमों (CBE) से संबंधित माहवार एवं कार्यक्रमवार सूचनाएं एवं रिकॉर्ड्स स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किये जाने वाले DLI (Disbursement Linked Indicators) Verification वैरिफिकेशन हेतु उप निदेशक कार्यालयों के साथ-साथ समस्त सीडीपीओ कार्यालयों, सेक्टर, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संधारित करावे।

आदेशों की अवहेलना पर सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(सुषमा अरोड़ा)
निदेशक


समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: F.(30)NNM/ICDS/ ILA /2018/ 188427-734

जयपुर, दिनांक
24-10-18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. डॉ. अरविन्द सिंघल, वर्ल्ड बैंक, राजस्थान।
4. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने जिले के उपनिदेशक से समन्वय कर उक्त सूचना भिजवाने में सहयोग प्रदान करें
5. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं